कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/ 08/2023

श्री प्रेमसिह पुत्र देवीसिंह जाति प्रजापत निवासी ग्रांम बाबैन पोस्ट बाबैन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर,भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

______

निर्णय **दिनांक 5.4.2023**

अपीलान्ट/प्रार्थी श्री प्रेमसिह पुत्र देवीसिंह जाति प्रजापत निवासी ग्रांम बाबैन पोस्ट बाबैन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 21–4–2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर भरतपुर से सूचना चाही थी। सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर । लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने बाबत रिर्पोट तलब की गई। सहायक कलक्टर भरतपुर से प्राप्त उत्तर पत्र कमांक/राजस्व/23/132 दिनांक 1.3.2023 शामिल पत्रावली किया गया। सहायक कलक्टर भरतपुर ने अपने पत्र में अवगत कराया कि राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर द्वारा अपील के निर्णय के उपरान्त न्यायालय के उपलब्ध जमा रिकार्ड रजिस्टर के मुताबिक यह पत्रावली अन्य पत्रावलियों के साथ जमा कराने हेतु जिला अभिलेखागार भरतपुर में जमा कराने हेतु भिजवादी गई थी उक्त पत्रावली से सम्बन्धित सूचना अभिलेखागार से प्राप्त करने हेतु अपने जबाब मे अंकित किया गया। इस पर जिला अभिलेखागार को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक दिनांक 17.3.2023 से सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार भरतपुर ने पत्रांक/जि. अभि./2023/30 दिनांक 31.3.2023 से अवगत कराया है कि :–

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

"....चाही गई सूचना की मूल पत्रावली चालान रजिस्टर वीडिग पंजिका वर्ष 1996 के मुताबिक क्र.स. 01 पर दिनांक 12.2.2014 में मिसल न. 74 / 95 उनवानी बुद्धि बनाम कलुआ निर्णय दिनांक 14.6.1996 पूर्ण तलफ की जा चुकी है..... ।"

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार,भरतपुर के उक्त जबाब पत्र दिनांक 31.3.2023 से स्पष्ट है कि आप द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली तलफ की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना को परिभाषित किया गया है :–

"सूचना" से किसी भी रुप में कोई भी सामग्री अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत अभिलेख,दस्तावेज,ज्ञापन,ई–मेल,राय, सलाह, प्रेस सूचना, परिपत्र, आदेश, लोगबुक, संविदा, रिर्पोट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी इलैक्ट्रोनिक रुप में रखी गयी डाटा सामग्री और ऐसे किसी भी प्राइवेट निकाय से संबंधित सूचना जिस पर तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी की पहुंच हो, है, " । प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का प्रकोष्ठ) राज. जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु / स.अ.प्र. / 08 दिनांक 2.2.2008 के बिन्दु संख्या 3 में यह भी स्पष्ट किया है कि किसी सूचना को सृजित करना या सूचना की व्यख्या करना या आवेदक की समस्यों का समाधान करना, या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को दी जावे (सुलभ सन्दर्भ हेतु जिला अभिलेखागार से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सलंग्न की जावे) तथा निर्णय की प्रति सहायक कलेक्टर भरतपुर एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर
भरतपुर